FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

शशिकान्ता वगै0 बनाम् भूमिधारी तहसीलदार वगै0

किस्म मुकदमा:– प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी मुकदमा नम्बर:–43/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
20.06.2019	प्रार्थीगण की ओर से श्री रामावतार सैनी प्रथम एड0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी पेश किया। प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर की जावें। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने तामील दिनांक 25.06.2019 को पेश हो।	
25-6-19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामील होकर लौटे है। जो शामिल पत्रावली किये गये। वास्ते आदेश तामील पत्रावली दिनांक 27-6-19 को पेश हो। PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।	
27.06.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने प्रकरण में अप्रार्थी की तामील हो जाने से प्रकरण का आज ही निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की तामील पूर्व में सम्यक रूप से हो चुकी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर	

Scanned by CamScanner

शशिकान्ता देवी बनाम भूमिधारी तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी मु.नं. 43/19
	अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 577 रकबा 3.24 हैक्टर, 578 रकबा 6.50 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण व अप्रार्थी नम्बर 2 ता 6 के पिता औंकारमल खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2019 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर पटवारी हल्का अजीतगढ़ के द्वारा मौके पर जाकर करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमि का मौके पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 किता–2, नामान्तकरण, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी

Scanned by CamScanner

श्रीकान्ता देवी बनाम भूमिधारी तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी मु०नं०-93/19	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

स्थिति में प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का अजीतगढ़ द्वारा दिनांक 14.06.2019 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/– रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का अजीतगढ़ द्वारा दिनांक 14.06.2019 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 27.06.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner